



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

**(A Government of India Enterprises)**

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: [www.dfccil.com](http://www.dfccil.com)

No. 2020/HQ/Admin/RTI-192

New Delhi: 20.03.2020

Sh. D. S. Chauhan  
H. No.-R-158, Railway Enclave  
Sector-12, Pratap Vihar  
Ghaziabad  
Mobile-9810903126

**Subject:** Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

**Reference:** Your RTI Application dated 25.02.2020 received in this office on 02.03.2020.

आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी संलग्न है।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है;

श्री सतीश कोठारी, जीजीएम / प्रशासन DFCCIL,

5 वीं मंजिल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली -110001

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)

9717636811

DA: 02 sheets


**नोट**

दिनांक 19.03.2020


संदर्भ: आरटीआई आवेदन पत्र सं. 2020/एच क्यू / प्रशासन /आरटीआई-192 दिनांक 04.03.2020

उक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत मांगी गई जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है:

आवेदक का नाम: श्री डीएस चौहान, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद						
क्र. सं.	मांगी गई जानकारी					उत्तर
1.	डीएफसीसीआईएल के एचलआर मैनुअल के अनुसार एएम या इससे नीचे के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या कोई कमेटी गठित होती है या संबंधित विभाग करता है स्पष्ट करें।					मानव संसाधन विकास द्वारा प्रक्रिया आरंभ की जाती है व संबद्ध विभाग के निदेशक के अनुमोदन के उपरांत प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।
2.	प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए रिक्तियों की सूचना में दिए गए समय सीमा के उपरांत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर भी कार्यवाही की जाती है, यदि हां तो नोटिस में समय सीमा निर्धारित करने का क्या औचित्य है स्पष्ट करें।					सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोरांत आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की कमी के कारण, समय सीमा के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर भी कार्यवाही की जाती है।
3.	जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक भी किसने वेकेंसी नोटिस जारी किए गए और कितने प्रार्थना-पत्र समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त हुए। नीचे दिए गए प्रारूप पर देने का कष्ट करें।					आपके द्वारा दर्शाए गए प्रारूप में सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही बनाए जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फाइलों का अवलोकन कर स्वतः प्राप्त करें।
	क्र. सं.	वेकेंसी नोटिस नंबर के साथ	रिक्तियों की संख्या	कितने आवेदन समय सीमा में प्राप्त हुए	कितने आवेदन समय सीमा के बाद प्राप्त हुए	प्रतिनियुक्ति की तिथि
4.	उपरोक्त में से कितने आवेदन सीधे प्राप्त हुए और उनमें से कितने को सम्मिलित किया गया, उक्त प्रारूप पर देने का कष्ट करें।					एचआर मैनुअल के अनुसार सहायक प्रबंधक को प्रतिनियुक्तिपर लेने के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-7 (छठवें वेतन आयोग के अनुसार पी.बी.-2 ग्रेड पे-4600 में कार्यरत होना अनिवार्य है)
5.	एचआर मैनुअल के अनुसार एएम को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए किस ग्रेड में व उसमें कितनी सर्विसहोना आवश्यक है, स्पष्ट करें।					
6.	कितने रेलवे कर्मचारी 65वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत आपके पास या प्लेमेंट एजेंसी के माध्यम से आपके पास कार्यरत हैं का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही बताएं कि नियमानुसार सही है।					मांगी गई जानकारी इस अनुभाग से संबंधित नहीं है।
7.	कितने रेलवे कर्मचारी रेलवे सेवा से एवं डीएफसीसीआईएल में प्रतिनियुक्ति की सीमा के उपरांत आपके पास कार्यरत हैं उनका पूर्ण विवरण कराने का कष्ट करें।					

  
प्रबंधक / मां. सं.

जन सूचना अधिकारी (उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आरटीआई)

  
5/3



**नोट**

दिनांक 19.03.2020

संदर्भ: आरटीआई आवेदन पत्र सं. 2020/एच क्यू / प्रशासन /आरटीआई-192 दिनांक 04.03.2020

उक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत मांगी गई जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है:

आवेदक का नाम: श्री डीएस चौहान, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद							
क्र. स	मांगी गई जानकारी					उत्तर	
1.	डीएफसीसीआईएल के एचलआर मैनुअल के अनुसार एएम या इससे नीचे के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या कोई कमेटी गठित होती है या संबंधित विभाग करता है स्पष्ट करें।					क्रमांक 1 से 5 तक मांगी गई सूचनाएं प्रतिनियुक्ति विभाग से संबंधित हैं।	
2.	प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए रिक्तियों की सूचना में दिए गए समय सीमा के उपरांत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर भी कार्यवाही की जाती है, यदि हां तो नोटिस में समय सीमा निर्धारित करने का क्या औचित्य है स्पष्ट करें।						
3.	जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक भी किसने वेकेंसी नोटिस जारी किए गए और कितने प्रार्थना-पत्र समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त हुए। नीचे दिए गए प्रारूप पर देने का कष्ट करें।						
	क्र. सं.	वेकेंसी नोटिस नंबर तिथि के साथ	रिक्तियों की संख्या	कितने आवेदन समय सीमा में प्राप्त हुए	कितने आवेदन समय सीमा के बाद प्राप्त हुए		प्रतिनियुक्ति की तिथि
4.	उपरोक्त में से कितने आवेदन सीधे प्राप्त हुए और उनमें से कितने को सम्मिलित किया गया, उक्त प्रारूप पर देने का कष्ट करें।						
5.	एचआर मैनुअल के अनुसार एएम को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए किस ग्रेड में व उसमें कितनी सर्विसहोना आवश्यक है, स्पष्ट करें।						
6.	कितने रेलवे कर्मचारी 65वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत आपके पास या प्लेमेंट एजेंसी के माध्यम से आपके पास कार्यरत हैं का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही बताएं कि नियमानुसार सही है।					65 वर्ष की आयु उपरांत डीएफसीसीआईएल में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।	
7.	कितने रेलवे कर्मचारी रेलवे सेवा से एवं डीएफसीसीआईएल में प्रतिनियुक्ति की सीमा के उपरांत आपके पास कार्यरत हैं उनका पूर्ण विवरण कराने का कष्ट करें।					उपलब्ध कार्यालय रिकार्ड / एस. ए. पी के अनुसार डीएफसीसीआईएल में कुल 77 सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कार्यरत हैं।	

उप महाप्रबंधक / मा. सं.

जन सूचना अधिकारी (उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आरटीआई)

